राजस्थान सरकार

कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

कमांक प.16(12)( )कोरोना/न्याय/20/2192 दिनांक 18.05.2020

—: आदेश :—

लॉकडाउन 4.0 (दिनांक 18 से 31 मई, 2020) के कियान्वयन

गृह मन्त्रालय भारत सरकार के आदेश संख्याः 40—3/2020—डीएम—।(ए) दिनांक 17.05.2020 द्वारा लागू किया गया लॉकडाउन दिनांक 31 मई, 2020 तक बढा दिया गया है एवं इस सम्बन्ध में विस्तृत गाईडलाईन जारी की गई हैं ।

इस कम में अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, गृह विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश कमांकः प.33(2)गृह—9/2019 दिनांक 18.05.2020 द्वारा लॉकडाउन के संबंध में क्रियान्वयन हेतु जारी गाईड—लाईन्स को **आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 एवं राजस्थान महामारी रोग अध्यादेश, 2020** के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, मैं जिला कलक्टर, सिरोही दिनांक 18.05.2020 से 31.05.2020 तक की अवधि के लिये सम्पूर्ण जिले में प्रत्येक व्यक्ति/समस्त कार्यालयों/समस्त प्रकार के संस्थानों/प्रतिष्ठानों/संगठनों के लिये लागू करते हुए निम्नानुसार निर्देश प्रसारित करता हूँ :—

A. "प्रतिबन्ध" (Restrictions):	**निम्नांकित प्रतिबन्ध जिले में 31 मई, 2020 तक जोनल वर्गीकरण के भेद के बिना लागू रहेंगे :** **(1). दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत :** (a) सार्वजनिक स्थानों पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के आवागमन या एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा । (b) सांय 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त प्रतिबंध रहेगा । यह निम्न पर लागू नहीं होगें (1) पुलिस/जिला प्रशासन/ सरकारी अधिकारी/ कर्मचारी जो सकिय फील्ड डयूटी पर हैं । (2) चिकित्सक एवं अन्य चिकितसा /पैरा मेडिकल स्टाफ (राजकीय/निजी) पारी / आपातकालीन डयूटी पर । (3) IT और ITes कम्पनियों का स्टाफ (रात्रि यात्रा पास प्रशासन / पुलिस से प्राप्त करना होगा । (4) चिकित्सा या अन्य आपातकालीन स्थिति के लिये । (5) दवा की दुकानों के मालिक और स्टाफ (रात्रि पास के साथ) (6) ट्रक/माल वाहक वाहन जो माल, निर्माण या अन्य किसी सामग्री को लेकर परिवहन कर रहे या खाली लौट रहे हो, का आवागमन । (c) सभी कार्यस्थल (दुकानें/कार्यालय/कारखाना आदि) सायं 6 बजे या इससे पूर्व बंद कर दिये जायेगे ताकि इनका स्टाफ एवं अन्य व्यक्ति सायं 7 बजे तक अपने घर पहुंच जायें । विशेष परिस्थिति में इस समय पश्चात् खोलने हेतु प्रशासन से विशिष्ट स्वीकृति प्राप्त करनी होगी । परन्तु यह समय सीमा निम्न पर लागू नहीं होगी : (1) निरन्तर उत्पादन के प्रकृति की फैक्ट्रियां। (2) रात की पारी वाली फैक्ट्रियां । (3) निर्माण गतिविधियां (भीषण गर्मी की अवधि में) **शर्तें** – इनके द्वारा पारी का प्रबन्ध इस प्रकार किया जाएगा कि सायं 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक की अवधि में कोई भीश्रमिक या स्टाफ सडक पर नहीं आएगा तथा वर्णित प्रक्रियानुसार पारियों का अंतराल रखा जाएगा । (4) IT और ITes कम्पनी । (5) दवा की दुकानें

(2). निषिद्ध गतिविधियॉ (Prohobited Activities) :

जिले में निम्नांकित गतिविधियों पर निषेध जारी रहेगाः (नहीं की जा सकेगी)

i. चिकित्सा सेवाओं/एयर एम्बुलेन्स/सुरक्षा भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा अनुमत उद्देश्यों को छोडकर सभी घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्रियों की यात्रा।

ii. सभी विद्यालय/महाविद्यालय/शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे । ऑनलाईन /डिस्टेन्स लर्निंग के संचालन की सुविधा रहेगी।

iii. स्वास्थ्य, पुलिस, सरकारी कर्मचारियों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, फंसे हुये व्यक्तियों सहित पर्यटकों के आवास के लिये तथा Quarantine सुविधा के लिये उपयोग में ली गई आतिथ्य सेवाओं को छोडकर अन्य सभी हॉटल एवं आतिथ्य सेवायें तथा बस डिपो, रेल्वे स्टेशन एवं हवाई अड्डों पर कैंटीन इत्यादि भी।

iv. सभी सिनेमा हॉल, मॉल, शोपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार और ऑडिटोरियम आदि एवं समान प्रकृति के स्थान बन्द रहेंगे ।

v. सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य सभाएें एवं बडे सामूहिक आयोजन ।

vi. सभी धार्मिक स्थलों/पूजा स्थलों को जनता के लिए बंद कर दिया जाएगा। धार्मिक सम्मेलन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे।

vii. पान गुटका, तम्बाकू आदि का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा ।

(3). प्रतिबंधित गतिविधियॉ (Restricted Activities) :

कन्टेनमेन्ट जोन के अलावा निम्नलिखित गतिविधियॉ निम्नानुसार प्रतिबन्धों के साथ अनुमत होगी :

i. स्पोर्टस कॉम्पलेक्स, स्टेडियम, गोल्फ कोर्स, पोलो ग्राउण्ड खुल सकते हैं, तथापि क्लब हाउस व समान सुविधाऐं नहीं खुलेगी एवं दर्शकों को अनुमति नहीं होगी ।

ii. रेस्टोरेन्ट, भोजनालय, मिठाई की दुकानें टेक–अवे एवं होम डिलीवरी के लिए ही खुल सकेंगे एवं परिसर के अन्दर किसी उपभोक्ता को अनुमति नहीं होगी ।

iii. निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ समस्त दुकानें खोली जा सकेगीः–

(1) दुकानदार द्वारा किसी भी ग्राहक को कोई विक्रय नहीं किया जायेगा जिसने मास्क नहीं पहन रखा हो । किसी भीप्रकार का उल्लघंन करने पर परिणाम स्वरूप जुर्माना, दुकान बन्द या कानूनी कार्यवाही की जायेगी ।

(2) सभी व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों और परिवहन में सामाजिक दूरी (न्यूनतम 6 फीट – 'दो गज की दूरी') की पालना की जाएगी । इसकी पालना नहीं करने पर जुर्माने से दण्डनीय होगा । एक सम पर छोटी दुकान पर दो से अधिक एवं बडी दुकान में 5 से अधिक उपभोक्ताओं को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी । अन्य व्यक्ति सामाजिक दूरी की अनुपालना करते हुए दुकान के बाहर पंक्ति में अपनी बारी की प्रतीक्षा करेंगे ।

(3) मॉल्स में स्थित दुकानें इसमें सम्मिलित नहीं हैं ।

iv. प्रत्येक ग्राहक की सेवा के उपरान्त पूर्ण सुरक्षा सावधानियों, कीटाणुशोधन एवं सफाई सहित नाई की दुकानें, सैलून एवं ब्यूटी पार्लर इत्यादि खुल सकेंगे ।

v. अनिवार्य आवश्यकताओं एवं स्वास्थ्य उद्देशें को छोडकर 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति सःरूग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलऐं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर पर ही रहेंगे ।

	vi. विवाह सम्बन्धी समारोह के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट से पूर्व में अनुमति प्राप्त करनी होगी । सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी तथा 50 से अधिक अतिथियों को अनुमति नहीं दी जायेगी। इनमें से किसी का भी उल्लंघन करना एक अपराध होगा और भारी जुर्माने से दण्डनीय होगा । vii. अन्तिम क्रियाक्रम / अन्तिम संस्कार में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी और 20 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जायेगी।
B.सामान्य सावधानियॉ **(Common Prescriptions) :**	जिले के लिए निम्नलिखित मानक सावधानियां और प्रतिबंध लागू रहेंगे : **<u>सार्वजनिक स्थान (Public Spaces) :</u>** 1. सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, कार्य स्थलों में चेहरे पर मास्क पहनना अनिवार्य हैं। चेहरे पर मास्क नहीं पहनना जुर्माने से दण्डनीय होगा । 2. सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर थूकना जुर्माने से दण्डनीय होगा । 3. सभी व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थलों और परिवहन में सामाजिक दूरी (Social Distancing) कम से कम 6 फीट की पालना की जाएगी । इसकी पालना नहीं करने पर जुर्माने से दण्डनीय होगा । 4. सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकू आदि का सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित हैं । **<u>कार्य स्थलों (कार्यालयों, प्रतिष्ठानों, कारखाने आदि) के लिए अतिरिक्त शर्तें :</u>** 5. जहां तक सम्भव हो घर से काम करने को व्यवहार में लाया जाए । 6. कार्य स्थलों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा श्रमिकों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों के बदलने पर तथा कार्मिकों के लंच ब्रेक में उपयुक्त अन्तराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जायेगा । 7. कार्यालयों, कार्य स्थलों, दुकानों, बाजारों और औद्योगिक व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम / व्यवसाय के घन्टों में अन्तराल रखा जाये (Staggering of Work/ business hours) 8. सभी प्रवेश और निकास स्थानों और कॉमन स्थानों पर थर्मल स्केनिंग, हेण्डवॉश और सेनेटाईजर का प्रबन्ध किया जावें । 9. संपूर्ण कार्य स्थलों में शिफटों के मध्य सहित आम सुविधाओं और मानव संपर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे दरवाजे के हैण्डल आदि का बार–बार सेनेटाईजेशन करना सुनिश्चित किया जायेगा। 10. सभी नियोजनकर्ता अपने कर्मचारियों को सार्वजनिक एवं स्वयं की सुरक्षा के लिये उनके मोबाइल फोन पर आरोगय सेतु को इन्स्टॉल करने एवं उपयोग करने के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित करेंगे । 11. श्रेष्ठ स्वच्छता विधियों पर सघन संचार और प्रशिक्षण दिया जायेगा।
C. अनुमत गतिविधियां **(Permitted activities) :**	1. अनुमत श्रेणी के सभी कार्यालय, दुकानें, प्रतिष्ठान, उद्योग, सेवाएं एवं अन्य गतिविधियां जो कि **"निषिद्ध गतिविधियों"** की श्रेणी में नहीं हैं, **अब खुल सकती है ।** इसी प्रकार ऐसी सभी इकाई आदि जो **"प्रतिबंधित गतिविधियों"** में है वह उनके लिये निर्धारित शर्तों की पालना करने पर खुल सकती हैं । इन सबको पृथक से अनुमति की आवश्यकता नहीं है जब तक कि विशिष्ठ तौर पर उल्लेख नहीं हो एवं निम्न शर्तों के अधीन ही खुली रहेगीः (1) ऐसी सभी इकाईयां आदि यह सुनिश्चित करेगी कि उनके द्वारा **पार्ट–बी में निर्दिष्ट मूलभूत ऐहतियाती** उपायों की अनुपालना की जायेगी । (2) उपखण्ड मजिस्ट्रेट, संबंधित विभागों / अभिकरणों के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगे कि इन मापदण्डों / सावधानियों की सभी ईकाईयों द्वारा अनुपालना की जा रही हैं । (3) यह पाये जाने पर कि कोई इकाई शर्तों की पालना नहीं कर रही है को बन्द कर दिया जायेगा और दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी । (4) कोई भी इकाई जो निषिद्ध श्रेणी में होने के बावजूद खुली पायी जाती है, के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी । (5) ऐसी ईकाई जिसके बारे में निषिद्ध श्रेणी में होने या नहीं होना, स्पष्ट नहीं है, के बारे में जिला प्रशासन या संबंधित विभाग से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जायेगा ।

D. जोन (Zone)	1. <u>रोकथाम जोन</u> **(Containment Zone) :** रेड जोन के रोकथाम जोन में भारत सरकार के चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाईडलाईन में विर्णत अनुसार प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू किया जायेगा एवं केवल आवश्यक आपूर्ति गतिविधियों की अनुमत होगी । चिकित्सा आपात स्थिति और आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति बनाये रखने के अलावा इन जोन्स के अन्दर या उसके बाहर आबादी का आवागमन नहीं होना सुनिश्चित करने हेतु सख्त परिधि नियन्त्रण लागू होगा । इन गाईडलाईन में वर्णित किसी भी प्रकार की छूट हॉट–स्पॉट तथा क्लस्टर्स के कन्टेनमेन्ट ऐरिया / कर्फ्यू क्षेत्रों में लागू नहीं होगी । इसी प्रकार लॉकडाउन अवधि में पश्चातवर्ती स्वीकृति की गयी छूट, जब तक कि आदेश में विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं किया गया हो, लागू नहीं होगी ।
	2. <u>रेड जोन</u> : (कन्टेनमेन्ट जोन / कर्फ्यू के अलावा) निम्नांकित गतिविधियां निम्न वर्णित शर्तों के साथ कियाशील रहेगी : 1. **सरकारी कार्यालय** : महत्वपूर्ण एवं आवश्यक कार्यों से जुडे हुए विभाग / कार्यालय पूर्ण क्षमता के साथ, अन्य कार्यालय अधिकारियों की पूर्ण क्षमता तथा 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ, शेष स्टॉफ वर्क फोम होम के आधार पर । 2. **वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं सेवा प्रतिष्ठान** : आवश्यकता के अनुसार स्टाफ तथापि वर्क फोम होम को प्रोत्साहित करना चाहिए। 3. **अन्य निजी कार्यालय** – 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ, शेष स्टाफ वर्क फो होम के आधार पर । 4. **सार्वजनिक / सामुदायिक पार्क बन्द रहेंगे ।** 5. **परिवहनः** कोई वाणिज्यिक यात्री वाहन (बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा आदि) अनुमत नहीं जब तक विशिष्ट रूप से अनुमति प्रदान नहीं कर दी जाती ।
E. व्यक्तियों का आवागमन / परिवहन / पास	(i) गृह मंत्रालय की दिनांक 17.05.2020 की गाईडलाईन्स के परिशिष्ट–1 में व्यक्तियों के आवागमन हेतु वर्णित मानक संचालन प्रकियाऐं जारी (SOPs) रहेगी । परिशिष्ट–1 सलंग्न हैं । (ii) राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के तहत यात्री वाहनों (बसें /टैक्सी सहित) का अंतर–राज्यीय आवागमन हो सकेगा । (iii) कोई ट्रक या अन्य माल / भाडा वाहन सामान, पशुधन, खनिज या निर्माण सामग्री आदि के साथ या खाली की अर्न्तराज्यीय एवं राजय के भीतर आवागमन बिना रूकावट के रहेगा । (iv) मेडिकल प्रोफेशनल्स, नर्सेज एवं पैरा मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी एवं एम्बूलेन्स का अर्न्तराज्यीय एवं राज्य के भीतर बिना रूकावट आवागमन रहेगा। (v) राज्य के भीतर एक जिले से (कोई जोन) दूसरे जिले (कोई जोन) के लिये उद्योग या निर्माण गतिविधियों के लिये श्रमिकों का परिवहन अनुमत हैं । (vi) राज्य के भीतर गृह विभाग द्वारा अनुमत किये गये मार्गो पर बसों का आवागमन हो सकेगा । (vii) अन्य सभी कॉमर्शियल यात्री परिवहन वाहन – टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा का चलन भी जोन वाईज प्रतिबंधों के अधीन अनुमत होगा। (viii) किसी भी वाहन (निजी/वाणिज्यिक) से यात्रा कर रही सवारियों की संख्या जिला परिवहन अधिकारी द्वारा शरूआत में अनुमोदित सवारी बैठक क्षमता से अधिक नहीं होगी । (ix) जब तक कि जोनल प्रतिबंधों की वजह से विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं यिका गया हो, व्यक्तियों या वाहनो के राज्य के अन्दर आवागमन के लिये पास की आवश्यकता नहीं होगी । तथापि आवागमन निम्नलिखित शर्तों के

	अधीन होगाः 1. व्यक्तियों / वाहनों का आवागमन केवल इन गाईडलाईन्स के अन्तर्गत आपातकाल या अनुमत गतिविधियों के लिये ही होगा । 2. कोई भी व्यक्ति जो लोकडाउन की शर्तों का उल्लघंन करता है के विरूद्ध वाहन की जब्ती सहित कठोर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। (x) **राज्य के बाहर या राज्य के भीतर यात्रा के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र / पास – दिनांक 11.5.2020** को जारी किये गये आदेश में वर्णित एसओपी एवं **दिनांक 13.5.2020** को जारी किये गये संशोधन में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार होगी । (निर्धारित रेल और बस सेवा द्वारा (बसों के लिए उपरोक्त E(ii) के अनुसार) राज्य से बाहर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी ।

राज्य सरकार द्वारा सिरोही जिले को "रेड जोन" में रखा गया हैं । अतः उपरोक्तानुसार जारी निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू किया जावे ताकि मानव जीवन और उसका स्वास्थ्य खतरे में नहीं पडे तथा कोविड–19 के वायरस के खतरे का सफलतापूर्वक निराकरण किया जा सकें। संबंधित समस्त अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि छूट में समस्त व्यक्तियों/कार्यालयों/समस्त प्रकार के संस्थानों/प्रतिष्ठानों/संगठनों में Social Distancing एवं Covid-19 अन्तर्गत पूर्ण प्रोटोकॉल का पालन किया जावें।

आमजन केवल आवश्यक कार्य हेतु ही बाहर जाएं अन्यथा घर पर ही सुरक्षित रहे।

गाईड–लाईन्स में जारी दिशा–निर्देशों के अनुरुप कियान्विति नहीं किये जाने की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51–60 अंतर्गत एवं राजस्थान महामारी रोग अध्यादेश, 2020 में निर्धारित जुर्माना और दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। सो संबंधित समस्त एवं आमजन सूचित रहे।

(भगवती प्रसाद)
जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

कमांक प.16(12)( )कोरोना/न्याय/20/ 2192 दिनांक 18 .05.2020

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1. अति. मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. अति. मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर ।
4. जिला पुलिस अधीक्षक, सिरोही
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सिरोही
6. उप वन संरक्षक, सिरोही/वन्य जीव आबूपर्वत
7. उपखण्ड अधिकारी, सिरोही/शिवगंज/पिण्डवाडा/आबूपर्वत/रेवदर
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही
9. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, सिरोही / उप श्रम आयुक्त, सिरोही ।
10. जिला परिवहन अधिकारी, सिरोही / आबूरोड ।
11. जिला स्तरीय अधिकारी..(समस्त), जिला–सिरोही
12. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही/शिवगंज/पिण्डवाडा/आबूरोड/रेवदर
13. तहसीलदार, सिरोही/शिवगंज/पिण्डवाडा/आबूरोड/रेवदर
14. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगरपरिषद/नगरपालिका, सिरोही/शिवगंज/पिण्डवाडा/आबूरोड /आबूपर्वत
15. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, सिरोही को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु ।
16. प्रभारी अधिकारी, नियन्त्रण कक्ष / विकास शाखा / आपदा प्रबन्धन ।

जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

Annexure I

Standard Operating Procedures (SOPs) issued by MHA

i. SOP on transit arrangement for foreign national(s) in India issued vide Order dated April 02, 2020.

ii. SOP on movement of stranded labour within States/ UTs, issued vide Order dated April 19, 2020.

iii. SOP on sign-on and sign-off of Indian seafarers, issued vide Order dated April 21, 2020.

iv. SOP on movement of stranded migrant workers, pilgrims, tourists, students and other persons, issued vide Order dated April 29, 2020 and Order dated May 01, 2020.

v. SOP on movement of Indian Nationals stranded outside the country and of specified persons to travel abroad, issued vide Order dated May 5, 2020.

vi. SOP on movement of persons by train, issued vide Order dated May 11, 2020.

***

17/5/2020